राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

603, ब्लॉक–5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2700872, E-mail: internsraj@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./शालादर्पण/इंटर्नशिप/2021/1233 दिनांकः06 07 /2021

:: D.El.Ed.वर्ष 2020–21 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष इंटर्नशिप हेतु दिशा निर्देश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.31(1)शिक्षा–4/2015 जयपुर दिनांक 07 सितम्बर, 2016 एवं प.7(1)प्राशि/आयो/2016 जयपुर दिनांक 20.09.2016 के द्वारा D.El.Ed. के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओ में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियो के लिए प्रथम वर्ष मे 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष मे 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयो में किया जाना निश्चित किया गया है।

सत्र 2020–21 में राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/ महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत D.El.Ed के प्रशिक्षणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय/निजी विद्यालय का आवंटन बैठक दिनांक 13.11.2017 के कार्यवाही विवरण प.7(5)प्राशि/आयो/2017 जयपुर, दिनांक 22.11.2017 के अनुसार करने हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोंडल अधिकारियो द्वारा प्रशिक्षणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन करने हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है :–

1.0 सामान्य निर्देश

1.1 D.El.Ed. के प्रशिक्षाणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा जिला स्तर पर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा –समन्वयक
2. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा –सदस्य
3. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) –सदस्य
4. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ (कार्यालय जि.शि.अ. प्रा.शि. मुख्यालय) –सदस्य सचिव

1.2 राजस्थान में संचालित निजी संस्थानों हेतु पोर्टल से इंटर्नशिप आवंटन ऐच्छिक रहेगा।

1.3 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा इन्टर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। इसी प्रकार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा इन्टर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए) एवं सी.आर.सी. (ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए) के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावेगा।

1.4 संस्थानों द्वारा प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप ऐच्छिक रूप से निजी विद्यालयों में करवाई जा सकेगी जिसकी समस्त सूचनायें शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी लेकिन द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप का आवंटन शाला दर्पण के माध्यम से केवल राजकीय विद्यालयों में ही किया जावेगा।

2.0 इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन समय निर्धारण

2.1 D.El.Ed. में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इन्टर्नशिप राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार चरणों में सम्पादित की जावेगी :–

(i) प्रथम चरण :– माह–जुलाई 2021 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक।
(ii) द्वितीय चरण :– माह–अगस्त 2021 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक।

2.2 D.El.Ed. पाठ्यक्रम मे प्रथम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियो को 4 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम द्वितीय चरण में राजकीय विद्यालयो का आवटंन किया जावेगा।

2.3 D.El.Ed. पाठ्यक्रम मे द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियो को 16 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम चरण में राजकीय विद्यालयो का आवटंन किया जावेगा।

3.0 इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियो को राजकीय विद्यालयो का आवटंन की प्रक्रिया

3.1 जिले मे संचालित समस्त विद्यालयो मे इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियो की अधिकतम संख्या का निर्धारण कोविड़–19 की वजह से सत्र विलम्ब से प्रारम्भ के कारण पूर्व सत्र की भांति दो चरणों में आवटंन संभव नही हो पाने के कारण प्रशिक्षणार्थियों की दोगुनी संख्या के मध्यनजर निम्नानुसार किया जावेगा :–

आर्दश वि. एवं स्वामी विवेकानन्द मार्डल स्कूल / महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)	उत्कृष्ट विद्यालय	कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय	शेष समस्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	शेष समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय
15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापको के रिक्त पद+05	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+05	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+01	15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अ ध्यापको के रिक्त पद+07	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+05

3.2 स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में केवल अंग्रेजी माध्यम अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी ही आवेदन कर सकेगें।

3.3 शाला दर्पण पोर्टल पर इंटर्नशिप हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगाः–

क्र. स.	इंटर्नशिप चरण	इंटर्नशिप हेतु आवेदन (Choice Filling) की अवधि	इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन	विद्यालय में कार्यग्रहण अवधि	परिवेदना प्रस्तुत एवं निस्तारण अवधि
1	प्रथम चरण D.El.Ed. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हे प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	10 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 तक	19–20 जुलाई 2021 को	विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस तक	01 अगस्त से 05 अगस्त 2021 के मध्य
2	द्वितीय चरण D.El.Ed. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हे द्वितीय चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	02 अगस्त 2021 से 10 अगस्त 2021 तक	11–12 अगस्त 2021 को	विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस तक	23 से 27 अगस्त 2021 के मध्य

3.4 निर्धारित अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिकता क्रम में पोर्टल पर दर्ज करनी अनिवार्य होगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रविष्ठ की गयी प्राथमिकता सूची के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस की अवधि मे ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्वान्त के आधार पर इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेंगा। किसी भी विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित संख्या से अधिक प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन नहीं किया जावेगा। आवंटन आदेश की प्रति शाला दर्पण की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

3.5 शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकतम संख्या के अनुसार ही इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियो का आवटंन किया जावेगा।

3.6 इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में संस्थाप्रधान को आदेश जारी होने की तिथि के सात दिवस के भीतर अपने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से कार्यमुक्त होकर ही NCTE नॉर्मस के अनुसार आवश्यक पाठ योजना डायरी व अन्य दस्तावेजों सहित देनी होगी एवं विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिवस अनिवार्यतः शालादर्पण पोर्टल पर दर्ज की जावेंगी।

3.7 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय मे वर्तमान कोविड–19 की परिस्थियों के मध्यनजर संस्थाप्रधान/पीईईओ के निर्देशन में अध्यापन, प्रवेशोत्सव, स्माईल 3.0, आओ घर से सीखे 2.0, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन एवं हवामहल, ई–कक्षा इत्यादि विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण गतिविधियों एवं फिल्ड कार्य में भाग लेना अनिवार्य होगा। विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी 4 कालांश विद्यालय मे अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापको की कक्षा मे उपस्थित रहकर शिक्षण विधियो का अवलोकन करेगें एवं शेष 4 कालांश में नियमित कार्यरत अध्यापको की देखरेख मे अध्यापन कार्य करेंगे।

3.8 प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकतम 02 दिवस तथा द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 07 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा किन्तु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को उक्त के अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा। इन्टर्नशिप निर्धारित समय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा।

3.9 विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी कक्षा 1 से 5 में SIQE एवं ABL पद्वति से अध्यापन करवाएगें। इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम, विधियो एवं संकल्पनाओ को समझने का अवसर प्रदान किया जावेगा।

3.10 इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियो को अभिभावको व सामुदायिक इकाईयों से भी सम्पर्क करवाया जावे एवं विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक नवाचारों में भी सहभागिता सुनिश्चित की जावें।

3.11 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के लिए NCTE के प्रावधानानुसार विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत डी. एल.एड/बी.एड मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल स्थानबद्व कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

4.0 इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियो को राजकीय विद्यालयो के आवटंन के बाद प्राप्त परिवेदनाओं की निस्तारण

4.1 तीनो चरणो में इंटर्नशिप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवटंन करने के सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओ पर निर्णय करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :–

राज्य स्तरीय समिति –

1	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, RCScE, जयपुर	अध्यक्ष
2	उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)	सदस्य
3	उपायुक्त–तृतीय, RCScE, जयपुर	सदस्य
4	वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, RCScE, जयपुर	सदस्य
5	अनुसंधान अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)	सदस्य
6	सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ–शिक्षा संकुल जयपुर	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति –

1	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
3	प्रधानाचार्य, डाईट	सदस्य
4	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी/अतिरिक्त ब्लॉक प्रारभिक शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. प्रथम	सदस्य सचिव

4.2 राजकीय विद्यालयों के आवटंन करने के सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओं पर राज्य/जिला स्तरीय समिति द्वारा गुणावगुण के आधार निम्न वरीयता अनुसार निर्णय किया जाकर रिक्त पदों पर अंतर्जिला विद्यालय परिवर्तन सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर द्वारा एवं जिले में ही अंतर्विद्यालय संशोधन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. के द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से किया जावेगा। परिवेदना पर निम्न क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जावे :–

1. पारस्परिक आधार पर।
2. दिव्यांग।
3. गर्भवती/03 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिलाएं।

4. समस्त महिलाऐं, जिन्हे सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नही हुआ है।
5. समस्त पुरूष प्रशिक्षार्थी, जिन्हे सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नही हुआ है।
6. विशेष विद्यालयों में नियुक्त प्रशिक्षणार्थी को सामान्य विद्यालय उनकी परिवेदना के आधार पर आवंटित किये जावें।
7. उर्दू/पंजाबी/सिंधी/गुजराती विषय के प्रशिक्षणार्थियों को जिन विद्यालयों में सम्बन्धित विषय संचालित है, वे ही विद्यालय आवंटित किये जावें।

4.3 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, RCScE, जयपुर द्वारा सभी चरणों में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किये जाने के पश्चात परिवेदनाओं के आधार पर इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाईन विद्यालय आवंटन मॉड्यूल पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों के अधिकतम संख्या के अनुसार अब शेष रिक्त सीटों वाले विद्यालयों को पब्लिक पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

4.4 राज्य एवं जिला स्तर पर प्राप्त परिवेदनाओं का राज्य एवं जिला स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन पश्चात् उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों की परिवेदनाओं का केवल एक बार पद रिक्त होने की स्थिति में ऑनलाईन निस्तारण किया जावें। प्राप्त समस्त परिवेदनाओं को निस्तारण निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से करवाया जावें।

(डॉ. भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./शालादर्पण/इंटर्नशिप/2021/1233 दिनांक: 06/07/2021

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. प्रबन्धक, समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान।
7. तकनीकी निदेशक, एनआईसी–समसा, जयपुर।
8. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, निदेशालय प्रा.शि. राजस्थान, बीकानेर।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग राजस्थान।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि./प्रा.शि. (मुख्यालय) राजस्थान।
12. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान।
13. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।
15. समस्त पदेश पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) राजस्थान।
16. प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली

(सना सिद्दीकी)
उपायुक्त–III